यालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
वान जयन्त बनाम राजेशकु
दमा नं. 215/2021

22/7/24 पत्रावली पेश। अधि. उभय पक्ष हाजिर। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की तामिल हो चुकी है, बावजूद तामिल हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना-पत्र अधि. प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं मूल वाद का अवलोकन किया गया। हमारी राय में विवादित भूमि का तादौराने वाद विक्रय करने पर वाद बाहुल्य बढ़ेगा। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से जारी की जाती है कि विवादित भूमि ख.नं. 1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1752/1359, 1757/1362 कुल किता 07 कुल रकबा 8.2000 हैक्टर वाके ग्राम दूदवा(?) तहसील व जिला सीकर की भूमि का तादौराने वाद विक्रय नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी, सीकर